



गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(नियम 15 ओ 22)

अंशदायी/सामान्य प्राविडेन्ट फण्ड

अंशदायी/सामान्य प्रोविडेन्ट फण्ड से अगाऊ/नॉन रिफण्डेबल
लिये जाने हेतु आवेदन-पत्र

भाग-1 (कर्मचारी द्वारा भरा जायेगा)

1. नाम कर्मचारी :.....
2. पिता/पति का नाम :.....
3. पदनाम :.....
4. परिसर/संकाय/विभाग/अनुभाग/कार्यालय :.....
5. अंशदायी/सामान्य भविष्य निधि :.....
6. प्रोविडेन्ट फण्ड खाता संख्या :.....
7. पंजाब नेशनल बैंक बचत खाता संख्या :.....
8. वेतन मैट्रिक्स में लेवल :.....
9. वर्तमान मूलवेतन :.....
10. मांगी गई अगाऊ/ नॉन रिफण्डेबल की राशि :.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

भाग-2 (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

11. प्रार्थना- पत्र के दिनांक को कर्मचारी
का हिस्सा तथा ब्याज की संचित राशि :.....
- (क) वर्षके अन्त में विवरणी
के अनुसार संचित राशि :.....
- (ख) दिनांक.....से.....तक संचित
राशि मासिक अंशदान के रूप में :.....
- (ग) कटौती.....से..... :.....
- (घ) रिफण्डेबल लिये जाने की अवधि.....
सेतक :.....
- (ङ) खाते में शुद्ध संचित राशि :.....
10. अगाऊ की शेष राशि यदि कोई
हो, कारण जिस हेतु लिया गया :.....
12. (क) कारण जिसके लिये अगाऊ/नॉन रिफण्डेबल चाहिए:.....
- (ख) नियम जिसके अन्तर्गत प्रार्थना आती हो :.....
13. यदि कोई अगाऊ/नॉन रिफण्डेबल इसी कारण
से पूर्व लिया गया हो तो राशि और वर्ष :.....
14. आंकलित अगाऊ की राशि
(कम संख्या 6 व 7) और काटी जाने
वाली मासिक किस्तों की संख्या/ प्रत्येक
किस्त की राशि :.....
15. कर्मचारी के अगाऊ/वापसी धन प्राप्त करने
हेतु प्रार्थना- पत्र पर न्याय संगत परिस्थितियों
पर कर्मचारी के अंशदान देने संबन्धी विवरण :.....

प्रोविडेण्ट फण्ड विभाग की टिप्पणी
क्रम संख्या 3,7,8, और 9 के विरुद्ध विवरण प्रमाणित किया और सही पाया गया ।

प्रो0 फण्ड विभाग

स्वीकार करने वाले अधिकारी की टिप्पणी

संख्या.....

दिनांक.....

अग्रसारित.....

कर्मचारी के अगाऊ के प्रार्थना- पत्र पर मैं कर्मचारी की आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हूं और प्रार्थना न्याय संगत है । अतः प्रोविडेण्ट फण्ड के नियम (.....) के तहत/ पूर्व नियम में शिथिलता के साथ अगाऊ/नॉन रिफण्डेबल दिये जाने की स्वीकृति की संस्तुति की जाती है ।

अगाऊ/ नॉन रिफण्डेबल.....रुपये.....

मासिक किस्तों में.....रुपये प्रतिमाह काटा जायेगा ।

प्रभारी/अनुभाग अधिकारी
स्थापना अनुभाग-I

संयुक्त कुलसचिव
स्थापना अनुभाग-II

प्रभारी, लेखा अनुभाग

वित्ताधिकारी

कुलसचिव